न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 125 / 2024

सन्तोष कुमार पुत्र श्री ल्होरे राम उर्फ ल्होरे जाति जाटव निवासी ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर

——— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार धौलपुर
2. बनवारी पुत्र ल्होरेराम
3. मीरा पत्नि ल्होरेराम
4. हरिविलास पुत्र नत्था
5. विमलेश पुत्री हरीसिंह पत्नि रामसनेही जाति जाटव निवासी ग्राम परउआ तहसील सैंपउ

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते अधीन धारा–136
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितिः– श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री देवीसिंह कुशवाह एडवोकेट अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 5 की ओर से

दिनांक – ....

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 514, 522,686,744 वाके ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर है। विवादित आराजी के सहखातेदार हरीसिंह का निधन दिनांक 19.11.2022 को हो गया है। जिसकी एकमात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 5 है इसलिए उसे पक्षकार प्रकरण बनाया है। विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता का देहान्त के पश्चात् प्रार्थी एंव ल्हौरेराम के विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम विरासत का इन्तकाल तस्दीक किया गया। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम संतोष कुमार के स्थान पर घर पर बुलाने वाला नाम कल्लोदि दर्ज कर दिया। जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम कल्लोदि के स्थान पर संतोष कुमार शुद्ध किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 की ओर से श्री देवीसिंह कुशवाह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया उनकी ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त की गई। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 18.10.24 में अवगत कराया है कि संतोष कुमार व कल्लोदि दोनो नाम एक व्यक्ति के है। विरासत का नामा0 दर्ज करते समय परिवार वालों के द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर घर का नाम कल्लोदि दर्ज कराया गया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ अंकतालिका 10वीं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड पेश किाय जिसमें संतोष कुमार पुत्र लोहरेराम दर्ज है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में कल्लोदि के स्थान पर संतोष कुमार नाम शुद्ध किये जाने का कथन किया। वकील अप्रार्थीगण ने उक्त संशोधन किए जाने हेतु सहमति जाहिर की।

बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी 514, 522,686,744 में दर्ज प्रार्थी का नाम कल्लोदि के स्थान पर संतोष कुमार शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। परवाना तहसीलदार धौलपुर को जारी कर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)